महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन
वेद सन्देश यात्रा योजना
(2018 से शुरु की गयी योजना)

योजना का शीर्षक:

वेद संदेश यात्रा योजना, वेदों के दिव्य एवं मानवमात्र कल्याण कारी संदेशों को फैलाने के महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन, में 14-12-2017 को आयोजित शासी परिषद् बैठक में अनुमोदित एवं 24-5-2018 को आयोजित शासी परिषद् बैठक में निर्धारित एक नई योजना है, ताकि वेदों और वैदिक ज्ञान की प्रासंगिकता आधुनिक समाज में दिव्य एवं मानवमात्र कल्याण कारी संदेशों द्वारा स्थापित हो सके। यह योजना विभिन्न स्थानों पर वेदों पर बौद्धिक गतिविधियों का संचालन करने के लिए केंद्रित है ताकि लोग शांति, समृद्धि और सामाजिक कल्याण के लिए वैदिक संदेश से अवगत हो जाएं।

वेद संदेश यात्रा योजना के तहत वेद गुरु और वेद पाठशाला के छात्र/ गुरिशिष्य इकाई वैदिक शिक्षा से जुड़े वेद गुरु वैदिक शिक्षा से एक स्थान पर /विभिन्न स्थानों पर जायेंगे और वैदिक बौद्धिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे ताकि वे अपने अनुभव / विचार के पारस्परिक आदान-प्रदान को समृद्ध कर सकें।

वेद संदेश यात्रा योजना में अधिकाधिक 10 वेद गुरु अथवा 10 वेद शिक्षकों अथवा 10 किसी भी अन्य वेद पंडित अथवा 10 वैदिक/संस्कृत विद्वान और वेद पाठशाला के 10 छात्र/ गुरुशिष्य इकाई के 10 छात्र वेदों पर बौद्धिक गतिविधियों का संचालन करने के लिए हर साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। प्रतिष्ठान की स्थापना वेदों की मौखिक परंपरा के संरक्षण, संवर्धन और वेदों की लोकप्रियता बनाए रखने के लिए की गई थी। निर्णय के अनुसार, योजना के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत नीति तैयार की गई है।

कार्यान्वयन की तिथि:

यह योजना प्रतिष्ठान के आन्तरिक स्रोतों से उपलब्ध बजट से किये जाने वाले वित्त पोषण से लागू होगी, क्योंकि वेद पारायण योजना का उद्देश्य आन्तरिक वित्तीय स्रोतों से वित्त पोषित होकर चल रही योजना के समान है। अतः शासी परिषद् के निर्णय से यह योजना जारी मानी जयेगी।

योजना के उद्देश्य और उद्देश्य:

वेद संदेश यात्रा योजना के निम्नलिखित उद्देश्यों हैं:

इस योजना का लक्ष्य है:

अ) वेदों पर /वेद में निहित विषयों पर व्याख्यान देने में समर्थ प्रतिष्ठान वेद शिक्षकों / किसी भी अन्य वेद पंडित /वैदिक विद्वान / प्रतिष्ठान वेद छात्रों की भागीदारी द्वारा वेदों पर वैदिक प्रवचनों के माध्यम से प्रत्येक वेद की बौद्धिक सामग्री को बढ़ावा देना, वेदों के दिव्य एवं मानवमात्र कल्याण कारी संदेशों को जगह जगह पहुंचाना और इसे लोकप्रिय बनाना।

आ) परंपरा के अनुसार वेद संदेश यात्रा के माध्यम से , वेदों के दिव्य एवं मानवमात्र कल्याण कारी संदेशों द्वारा शांति, समृद्धि और सामाजिक कल्याण का संदेश फैलाएं

इ) किसी भी स्थान पर वैदिक प्रवचनों के माध्यम से सभी वेदों की सामग्री को बढ़ावा देना और लोकप्रिय बनाना ताकि वेद, वेद वाङ्मय, सामान्य जनता के बीच लोकप्रिय हो जाएं।

ई) किसी भी स्थान पर वैदिक प्रवचनों के माध्यम से शांति, समृद्धि और सामाजिक कल्याण पर वैदिक सूक्तों की शुभकामनाओं के संदेशों को प्रचार करना, बढ़ावा देना, लोकप्रिय बनाना और प्रसार करना ताकि वेद, वेद वाङ्मय, वेद आख्यान सामान्य जनता के बीच लोकप्रिय हो जाएं।

योजना के लिए वित्तीय सहायता:

प्रतिष्ठान की शासी परिषद् द्वारा अनुमोदन पर, वेदों की मौखिक परंपरा को बढ़ावा देने के लिए 14-12-2017 को आयोजित बैठक में उज्जैन ने इस योजना के तहत प्रति वर्ष 10 लाख रुपये निर्धारित किए गये हैं।

वेद संदेश यात्रा योजना के आवेदन, नियम और शर्तों की प्रक्रिया

ए) प्रतिष्ठान / वेद पाठशाला / वैदिक संस्थानों / गुरुशिष्य इकाइयों / वेद पंडित / वेद अथवा संस्कृत के विद्वान / किसी भी वेद पाठी / वेदशिक्षक भारत के भीतर एक मान्यता प्राप्त जगह में वेद संदेश

यात्रा के लिए आवेदन प्रस्तुत / प्रस्तुत कर सकते हैं। वेद विषय के विज्ञता को सेवा अथवा अनुभव द्वारा प्रमाणित करना होगा।

बी) प्रतिष्ठान, एक विशेष स्थान पर विशेष अवसर पर वेद संदेश यात्रा के लिए वेद या संस्कृत में वैदिक पंडित / पंडित / विद्वान का वेदों पर /वेद में निहित विषयों पर व्याख्यान देने भी अनुरोध कर सकता है।

सी) प्रतिष्ठान वेबसाइट पर विज्ञापन प्रकाशित करके / वेद या संस्कृत में वैदिक पंडित / पंडित / विद्वान को पत्र लिखकर और आवेदन प्राप्त करने के लिए योजना के तहत आवेदन के लिए विज्ञापन किया जयेगा। सचिव शासी परिषद् द्वारा अनुमोदित तीन वैदिक पंडितों की एक समिति गठित करके आवेदनों को स्वीकृति देंगे और परियोजना समिति को इस मामले की रिपोर्ट करेंगे ।

डी) आवेदनों के प्रोसेसिंग के बाद, आवश्यक शर्त और दस्तावेजों की शर्तों का उल्लेख के साथ स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा। सभी राशि केवल आरटीजीएस-पीएफएस के माध्यम से स्थानांतरित की जाती है।

ई) स्थान / संस्थान / / वेद या संस्कृत में वैदिक पंडित / पंडित / विद्वान का चयन करते समय, वेद व्याख्यान में अनुभव, सभी वेदों पर दृष्टि, तथा एनईआर सहित सभी क्षेत्रों में वेद संदेश यात्रा पर विचार किया जाना है।

च) वेद संदेश यात्रा पर जाने वाले वेद या संस्कृत के प्रत्येक वेद पंडित / विद्वान को मानदेय का भुगतान किया जाएगा। यह इस प्रकार होगा-

- वेद पर व्याख्यान हेतु प्रति दिन रु.1000/-(एक हजार मात्र) मानदेय; प्रति दिन रु. 1000/-(एक हजार मात्र) आवास एवं भोजन व्यय और मूल टिकटों के प्रस्तुति पर अधिकतम ए.सी. द्वितीय रेल का किराया अथवा स्लीपर का यथार्थ किराया भुगतान किया जाएगा ।

जी) किसी भी वेद पंडित का मूल निवास एवं सामान्यतः कर्तव्य का जगह वेद संदेश यात्रा के लिए योग्य नहीं माना जयेगा ।

एच) कार्यक्रम के माध्यम से, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वेदों का संदेश उन स्थानों पर फैल जाये जहां वेदों के दिव्य एवं मानवमात्र कल्याण कारी संदेशों को फैलाने के लिए कोई स्थापित तंत्र नहीं है और वेदों के दिव्य एवं मानवमात्र कल्याण कारी संदेश अभी तक नहीं पहुंच पायें हैं।

i) यदि वेद संदेश यात्रा पर जाने वाले वेद या संस्कृत के स्वस्थान से 1000 किलोमीटर दूरी तक वेद संदेश यात्रा का स्थान है तो अधिकतम 4 दिनों तक व्यय स्वीकार्य होग, 3 से कम प्रवचन वितरित नहीं किए जाएंगे ।

ii) यदि वेद संदेश यात्रा पर जाने वाले वेद या संस्कृत के विद्वान का स्वस्थान से 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर वेद संदेश यात्रा का स्थान है तो अधिकतम 7 दिनों तक व्यय स्वीकार्य होग, 5 से कम प्रवचन वितरित नहीं किए जाएंगे ।

ज) वेद संदेश यात्रा को धन की उपलब्धता और पूर्व अनुमोदन के अधीन पांच साल में एक बार फिर से लिया जा सकता है।

के) वेद संदेश यात्रा के लिए वेद या संस्कृत में वैदिक पंडित / पंडित / विद्वान ने प्रतिष्ठान के छात्रों, को वेद संदेश यात्रा में भाग लेंगे ऐसे मामलों में छात्रों को प्रति दिन रु. 500/-(पंच सौ मात्र) आवास एवं भोजन व्यय अधिकतम 7 दिनों के लिए और मूल टिकटों के प्रस्तुति पर अधिकतम द्वितीय रेल का किराया ।

ऊ) एक बार वेद संदेश यात्रा किसी स्थान / संस्थान / किसी वेद पंडित द्वारा किया जाता है, तो उस स्थान / संस्थान / उसी पंडित द्वारा प्रतिष्ठान वेद संदेश यात्रा योजना के तहत उपलब्धि दो साल के अंतराल के बाद ही वेद संदेश यात्रा हेतु आवेदन कर सकते हैं।

ऋ) यदि आवंटित बजट की सीमा तक आवेदन प्रस्ताव प्राप्त नहीं किए जाते हैं, ऐसे योग्य मामलों में, प्रतिष्ठान के विवेकाधिकार पर दो वर्षों के अंतर को नजर-अंदाज किया जा सकता है।

ए) धन राशि की प्रतिपूर्ति के लिए कार्यक्रम के बाद, वेद संदेश यात्रा कार्यक्रम के डीवीडी / सीडी / फोटो / साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

जे) कार्यक्रम के दौरान, **" महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन, के वेद सन्देश यात्रा योजना में प्राप्त आर्थिक अनुदान से आयोजित कार्यक्रम "** इस प्रकार से प्रतिष्ठान का नाम और वित्तीय समर्थन प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

कठिनाइयों को दूर करना

यदि किसी भी कठिनाई योजना के उचित कार्यान्वयन में बाधा डालती है, तो प्रतिष्ठान के माननीय उपाध्यक्ष जी के पास योजना के उद्देश्यों के अनुरूप कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति होगी और इस तरह के फैसले को शासी परिषद् की अगली बैठक में सूचित किया जाएगा।

*****

MSRVVP- VEDA SANDESH YATRA SCHEME

Title of the scheme :

Veda Sandesh Yatra Scheme shall be a new scheme approved by the Governing Council of the MSRVVP, Ujjain in the meeting held on 14-12-2017 for spreading the message of the Vedas, so that the relevance of Vedas and Vedic knowledge are established in the modern society. The scheme further focuses to conduct intellectual activities on Vedas at various places so that people become aware of the Vedic message for peace, prosperity and societal well-being.

Under the Veda Sandesha Yatra scheme Veda Guru-s and students of Veda Pathashala-s, GSP Units will visit various places connected with Vedic learning and participate in Vedic intellectual programmes to enrich their experience/mutual exchange of thought. Veda Sandesh Scheme Veda Teachers and Students of 10 Pathashalas and 10 Guru Shishya Parampara Schemes of MSRVVP may visit from one place to another place each year.

As per the decision, the detailed policy is framed hereunder for the implementation of the scheme.

MSRVVP was established for the preservation and popularization of oral tradition of the Veda-s and Vedic knowledge. Hence the Veda Sandesh Yatra is also aligned with the objectives of the Pratishthan.

Date of Implementation:

The Scheme shall come into effect from the permission to start the scheme within the budgeted funding available with MSRVVP as approved by the M/o HRD, as the objective of the Veda Parayana Scheme is similar to the ongoing scheme funded by the Pratishthan.

Aims and objectives of the Scheme:

Veda Sandesh Yatra Scheme has the following objectives:

The scheme aims to:

a) Promote, and popularize the contents of each of the Vedas through Vedic discourses on Vedas by participation of MSRVVP Veda teachers/ any other Veda Pandit/MSRVVP Veda Students who are well versed in giving speech on Vedas.

b) Spread the message of peace, prosperity and societal well-being through Sasvara-Veda Parayana as per tradition
c) Promote, and popularize the contents of all Vedas through Vedic discourses in any place so that Veda is made popular among masses and general public.
d) Promote, popularize and spread the message of good wishes of Sukta-s on peace, prosperity and societal well-being through through Vedic discourses in any place so that Veda is made popular among masses and general public.

Financial Support to the Scheme:

On approval by the Governing Council of the MSRVVP, Ujjain in the meeting held on 14-12-2017 for the promotion of oral tradition of the Vedas, rupees ten lakhs have been earmarked per year under this scheme.

Procedure of Application, Terms and Conditions of the Veda Sandesh Yatra Scheme Scheme

a) Any Veda Pathi/teacher of MSRVVP/ Veda Pathashala-s/Vedic Institutes/GSP Units/ Veda Pandits/ scholar in Veda or Sanskrit can propose/submit application for **Veda Sandesh Yatra** in a recognized place within India.
b) MSRVVP can also request a Vedic Pandit/Pandits/scholar in Veda or Sanskrit for **Veda Sandesh Yatra** in a recognized place within India having considered the special occasion in a particular place at a point of time.
c) MSRVVP shall call for application under the scheme by publishing advertisement on MSRVVP Website/writing letters to Veda-Pathashala-s/Pandits scholar in Veda or Sanskrit etc and on getting applications; Secretary shall process the applications by constituting a committee of three Vedic Pandits approved by GC and report the matter to the Project Committee.
d) After processing and approval, sanction order will be issued mentioning the terms of condition and documents necessary to claim the amount. All amounts are transferred through RTGS only.
e) While selecting the place/Institute/the Veda Pandit, due consideration must be given for all regions including NER and **Veda Sandesh Yatra** shall be done in all regions.
f) Each Veda Pandit/ scholar in Veda or Sanskrit going on **Veda Sandesh Yatra** shall be paid a Sambhavana/Honararium of Rs. one thousand per

day for having conducted discourse programme for common public, boarding and lodging expenses of Rs. one thousand per day and maximum of 2nd AC TA on production of original tickets/or limited o sleeper class if no original tickets are produced.

g) Any Veda Pandit's normal point of work/duty are not eligible for **Veda Sandesh Yatra.**
h) Through the programme, it must be ensured that the message of Vedas spread to those places where there is no established mechanism to spread the message of Vedas.
i) In all, **Veda Sandesh Yatra** shall be permissible for maximum of 4 days if journey is upto 1000 kms, not less than 3 discourses be delivered/7 days if journey is beyond 1000 kms; not less than 5 discourses be delivered n the period.
j) **Veda Sandesh Yatra** can be re-availed once in five years subject to availability of funds and prior approval.
k) If students of MSRVVP recognized Pathashala/any Veda Guru also part of the **Veda Sandesh Yatra***, in such case* students *will be paid* maximum of 2nd sleeper TA and Rs. 200/- per day boarding and lodging expenses for maximum of 7 days.
l) Once the **Veda Sandesh Yatra** is over in a place/Institute/by a particular Veda Pandit, further Veda **Veda Sandesh Yatra** can be done in that place/Institute/by the same Veda Pandit under MSRVVP Veda Parayana scheme once in five years.
m) If proposals are not received to the extent of budget allocated, in such deserving cases, the gap of five years can be relaxed at the discretion of the Pratishthan.
n) After the programme, DVDs/CDs/Photographs/Evidence of the **Veda Sandesh Yatra** must be submitted to claim the reimbursement of full amount sanctioned.
o) During the programme, the name and financial support of MSRVVP be prominently displayed. **"म.सां.रा.वे.वि.प्र. उज्जैन, के वेद सन्देश यात्रा योजना में प्राप्त आर्थिक अनुदान से आयोजित कार्यक्रम"**

Removal of Difficulties

If any difficulties obstruct the proper implementation of the scheme, Vice-Chairman, MSRVVP shall have the power to remove the difficulties in consonance with the objectives of the scheme and such decision will be reported to Governing Council in the next meeting.